न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/563

धापूबाई बेवा ग्यारसा आयु 70 वर्ष जाति धाकड निवासी कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
———अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन नाथ आत्मज उंकार आयु 51 वर्ष जाति नाथ निवासी कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. आशा बाई पत्नी मोहन नाथ आयु 46 वर्ष जाति नाथ निवासी कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. नन्दू आत्मज उंकार आुय 61 वर्ष जाति नाथ निवासी कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश कहार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 10.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 166 की आराजी खसरा नम्बर 1854/666 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिया के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है । दिनांक 17.08.2012 को प्रतिवादीगणएक राय होकर चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि को फाडने के लिए जेसीबी मशीन अवैध व अनाधिकृत रूप से लगाने पर आमादा हैं तथा वादिया का परिवार उक्त भूमि पर ही बने रास्ते में होकर अपने घर कुए पर आते–जाते हैं । उक्त भूमि पर 10–15 बम्बूल, नीम व खेडों के पेड हैं जिन्हें प्रतिवादीगण द्वारा काटकर नीचे गिरा दिया गया । वादिया द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी से वादिनी को बेदखल करने की धमकी दी गई जिस पर वादिया द्वारा उक्त वाद किया गया है ।

3. अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण अवैध व अनाधिकृत रूप से पेड पौधों को न काटे तथा उक्त भूमि पर न तो स्वयं कब्जा करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर ले तो उसे बेदखल कर वापस कब्जा वादिनी को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 04.06.2015 के द्वारा वादिया का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2015 से व्यथित होकर वादिया अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड व दस्तावेज के आधार पर कोई विचार व अवलोकन किये बिना ही प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर ही निर्णय पारित कर पूर्व में हो रही नक्शा तरमीम को निरस्त फरमा दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रार्थना व बिना किसी विवाद्यक बिन्दु के तरमीम को निरस्त कर नया वादकारण अनावश्यक रूप से न्यायालय द्वारा पैदा कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2015 निरस्त फमराया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखने बाबत् अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जिसकी अपीलान्ट कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.11.2015 को अदालत में आवाज लगाकर न्यायालय द्वारा अवगत करवाया गया तब हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. उक्त अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की खाते एंव स्वामित्व की है जिस पर रेस्पोडेन्टगण अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा हैं उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने नक्श तरमीम नहीं होने एवं पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त करने के आधार पर खारिज किया है । उक्त अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है । राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट वादिया उपस्थित नहीं थी और न ही पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा हुआ था । दावे में प्रस्तुत किये गये दास्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय एंव डिक्री पारित नहीं की है, सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं की है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट वादिया के द्वारा धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद पेश किया गया था । उनकी आराजी का इन्द्राज नक्शे में गलत जगह कर रखा है जो अवैध है । नक्शे में जिस

जगह तरमीम की गई है वह आराजी रेस्पोडेन्ट के कब्जे में है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर रेस्पोडेन्ट इस आराजी के खातेदार कृषक हो गये हैं । तरमीम निरस्त करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किये जा चुके है जिसकी अपीलान्ट ने कहीं भी अपील नहीं की है । वह स्थायी निषेधाज्ञा की आड में रेस्पोडेन्ट की आराजी पर कब्जा करना चाहती है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायमी हेतु लम्बित थी जिसे राजस्व लोक अदालत में रख दिया गया । राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान में से सिर्फ प्रतिवादी कम 1 मोहन नाथ उपस्थित हुआ था । वादिया उपस्थित नहीं थी और न ही शेष प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया इसी दिन दावा खारिज कर दिया गया । राजस्व लोक अदालत में केवल उन प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी पेश नहीं हुआ है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय लोक अदालत की भावना के विरूद्ध पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत वाद का निर्णय गुणावगुण पर दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.10.2018 को उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10.8.18

(भगवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा